न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 20/2022

बउनवान

इन्द्राबाई पुत्री हजारीलाल पत्नि शोभाराम जाति माली, हाल निवासी शोभागपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राज0)
(अपीलांट)

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र किशना, जाति माली
2. रामभरोस पुत्र किशनलाल, जाति माली
3. द्वारका पुत्री किशनलाल, जाति माली, निवासीगण कोटडा, तहसील व जिला बारां
4. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 45 दिनांक 13.04.1993 न्यायालय तहसीलदार, बारां अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री संदीप चौबे एडवोकेट (रेंस्पो. क्रम 1 ता 3)

निर्णय दिनांक 25.07.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कोटडा, तहसील बारां के माल में खाता संख्या नया 109 पुराना 100 में कुल 2 किता आराजी रकबा 0.47 है0 अवस्थित है, जिसमें रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ता 3 का 1/9 हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम कोटडा तहसील बारां के माल में खाता संख्या नया 110 पुराना 101 में 0.04 है0 आराजी में रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ता 3 का हिस्सा 1/3 दर्ज है। ग्राम कोटडा तहसील बारां के माल में खाता संख्या नया 111 पुराना 102 की कुल किता 10 आराजी रकबा 3.08 है0 अवस्थित है, जिसमें रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ता 3 का 1/9 हिस्सा है तथा खाता संख्या नया 112 पुराना 102 में कुल एक किता रकबा 0.02 है0 में रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ता 3 का हिस्सा 1/9 सरकारी कागजात भूराजस्व में दर्ज है। सम्वत् 2047–50 में उक्त आराजी खाता संख्या 10 कुल किता 13 कुल रकबा 3.57 है0 किशना वल्द जीवन के खाते में हिस्सा 1/3 दर्ज था। किशना की मृत्यु हो चुकी है। अपीलांट व रेस्पोडेन्टस क्रम 1 ता 3 का पारिवारीक सजरा इस प्रकार है–

किशना (फौत)

हजारीलाल पुत्र (फौत)	रामगापेाल (पुत्र)	रामभरोस (पुत्र)	द्वारका (पुत्री)	इन्द्रा (पुत्री अपीलांट)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested

किशना की मृत्यु के बाद रेस्पो. क्रम 1 ता 3 ने मिलीभगत कर अपीलांट के पिता हजारीलाल का नाम छिपा कर अपीलाधीन इंतकाल तस्दीक करवा लिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट मृतक किशना की पोती व मृतक हजारीलाल की विधिक वारिस है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर

45 दिनांक 13.04.1993 ग्राम कोटड़ा निरस्त किया जाकर मृतक किशना के पुत्र जीवन के विधिक वारिसान क जांच की जाकर पुनः नामांतकरण दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट्स जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने पर हमने अपीलांट की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एक पक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी के मृतक खातेदार किशना की पोती व मृतक हजारीलाल की विधिक वारिस है। किशना की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टस क्रम 1 ता 3 ने मिलीभगत करके अपीलांट के पिता हजारीलाल का नाम छिपा कर उक्त इंतकाल नंबर 45 दिनांक 13.04.1993 को तस्दीक करवा लिया जो कि विधि विरूद्ध है। अतः इंतकाल नंबर 45 दिनांक 13.04.1993 निरस्त फरमावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

प्रकरण में किशना के विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया गया है, जिसमें उसके दो पुत्र रामभरोस व रामगोपाल तथा एक पुत्री द्वारका बाई होना अंकित किया गया है। उसका हजारी पुत्र होना नही बताया गया है। पेश किए गये शपथ पत्र शपथ कर्ता धर्मवीर, धन्नालाल, चतुर्भज, बाबूलाल के आधार पर हजारी को किशना का पुत्र होना माना जा सकता है। परन्तु अपीलांट का मृतक किशना की पोती होना व हजारीलाल की विधिक वारिस होने के संबंन्ध में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। अपीलांट द्वारा पेश अपील में अपीलांट को किशना की पुत्री होना सजरे में बताया है, परन्तु पैरा मद 5 में उसकी पोती होना व मृतक हजारी की विधिक वारिस होना बताया है। यह दोनो विरोधाभास वाले तथ्य अंकित किए गये है। अतः इन्द्रा का किशना का विधिक रूप में क्या संबंन्ध है, यह स्पष्ट नही होने से उसका विवादित आराजी में किस प्रकार से हिस्सा नीहित है, यह निर्धारित नही होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटा सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटा सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:07 IST
Reason: SelfAttested